:: न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सीमलवाड़ा
जिला–डूँगरपुर राजस्थान ::

पीठासीन अधिकारीः– सोनू कुमार गुर्जर RAS

प्रकरण सख्याः–35/2025 दायर दिनांकः–30.05.2025

1. हिरा पिता लक्ष्मण रोत जाति भील उम्र वयस्क निवासी भीण्डा तहसील झौंथरीपाल जिला–डूंगरपुर राज.। ––प्रार्थी

बनाम

1. श्री गटू पिता नाथू रोत जाति भील
2. श्री दीपक पिता जीवराम उर्फ जीवा रोत जाति भील
3. श्री नरेश पिता जीवराम उर्फ जीवा रोत जाति भील
4. श्री मनोज पिता गटू रोत जाति भील
5. श्री पप्पू पिता गटू रोत जाति भील
6. श्री गोपालकृष्ण पिता जीवा रोत जाति भील
7. श्री जयंति पिता काना रोत जाति भील
8. श्री जसवर पिता काना रोत जाति भील
9. श्री नानुराम पिता जीवा रोत जाति भील
10. श्री महेश पिता काना रोत जाति भील
11. श्री राकेश पिता काना रोत जाति भील
12. श्री राजकुमार पिता प्रभूलाल रोत जाति भील
13. श्री विपिनचन्द्र पिता प्रभूलाल रोत जाति भील
14. श्री हरीश पिता काना रोत जाति भील
    निवासी भीण्डा तहसील झौंथरीपाल जिला डूंगरपुर राज.
15. भूमिधारी तहसीलदार झौंथरीपाल जिला–डूंगरपुर राज.

––अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र बाबत् पत्थरगढी कराने अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू.रा.अधि.

सपठित धारा 151 जा.दी.

उपस्थितः–

1. अधिवक्ता श्री गौतमलाल रोत, प्रार्थी की ओर से।
2. अधिवक्ता श्री शांतिलाल कटारा, अप्रार्थीगण 1 से 5 की ओर से।
3. अप्रार्थीगण 6 से 14 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही।
4. पेरोकार सरकार, अप्रार्थी सं. 15 तहसीलदार सीमलवाड़ा की ओर से।

:: निर्णय :: दिनांक 16/06/2025

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि यहकि प्रार्थी व आप्रार्थीगण गांव भीण्डा तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान के स्थायी निवासी है। प्रार्थी खेतीबाडी कर अपना व अपने परिवार का जीवन यापन कर रहा है। प्राथी के कब्जे कास्त की खातेदारी आराजी मौजा भीण्डा में खाता संख्या 223 खसरा नम्बर 411 खेत किता 1. कुल रकबा 00809 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 413 खेत किता 1 कुल

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

रकबा 0.3236 हैक्टेयर में पारिवारिक बंटवारे अनुसार ही काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। 3. यहकि प्रार्थना पत्र कारण आज से एक सप्ताह पूर्व प्रार्थी ने अपने के कब्जे काश्त की कॉलम संख्या 2 में अंकित आराजी में काश्त करने गये तो उसी से सटकर विपक्षीगण की आराजी संख्या होकर स्थित है। विपक्षीगण जबरन प्रार्थीगण में आकर प्रार्थी से कास्तकार अप्रार्थीगण मौके पर आकर प्रार्थी के साथ सीमा विवाद करने लगे एवं अप्रार्थीगण जबरन खेतों में घुसकर खेतीबाडी करने लेकर विरोध करते रहते है। अप्रार्थीगण उका आराजी में आकर उक्त आराजी की मुमी को अपनी बताकर सीमा विवाद करने लगे। जिस पर प्रार्थीगण ने कहा कि वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीगण राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नाम के अनुसार ही काबिज होकर काश्त कर रहे है। ऐसे में तुम्हे कोई अंगडा करने का है। कोशिश की लेकिन विवाद करने लगा। जबरन अवैध अतिक्रमण कर पत्थर डाल रहे है। प्रार्थी ने समझाने की काफी कोशिश की लेकिन समझने को तैयार ही नहीं हुआ तथा जबरन विवाद कर वादग्रस्त आराजी को अपनी बताने लगा तथा प्रार्थीगण की आराजी सीमा पर निशानदेही होने के बावजुद सीमा विवाद कर रहा है। ऐसे में प्रार्थी की खातेदारी आराजी की पत्थर गढ़ी कर सीमाकीत किया जाना आवश्यक है। क्योकि प्रार्थी को अपनी आराजी में काश्त करने में रूकावट उत्पन्न कर रहे है। प्रार्थी वादग्रस्त आराजी में राजस्व रिकॉर्ड अनुसार कब्जा होकर काश्त करते आ रहा है। प्रार्थी की आराजी में सीमा विवाद करने लगा है। जिससे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पत्थर गढ़ी करना आवश्यक हो गया जिससे म्याद अवधि में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। प्रार्थी के कब्जे काश्त की आराजी होने से जबरन अंगडा फंसाद कर परेशान करते है। बादग्रस्त भूमि पर अतिक्रमण करने प्रार्थी से झगडा फंसाद व जान से मारने की धमकीया देते है। जबकि प्रार्थी की रिकॉर्डेड आराजी है। जिस पर विवाद करने से लगातार विवाद बढ़ने से प्रार्थना पत्र कारण लगातार उत्पन्न होने लगा। प्रार्थी ने तहसील कार्यालय झौथरीपाल से उक्त आराजी का सीमाकंन, पैमाइश कराया गया है। मौका पर्चा भी बनाया गया है। उसके बाद भी अप्रार्थीगण मानने को तैयार नहीं है। प्रार्थी के कमाई का एकमात्र जरीया कृषि है ऐसे में वादग्रस्त आराजी से बेदखल करने पर वंचित हो जाएगा। तथा प्रार्थी का परिवार मुखा मर जाएगा। प्रार्थी को भारी आर्थिक क्षति होगी जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। प्रार्थी के कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी मौजा भीण्डा में खाता संख्या 223 खसरा नम्बर 411 खेत किता 1. कुल रकबा 0.0809 हैक्टेयर एवं खसरा नम्दों 413 खेत किता 1. कुल रकबा 0.3236 हैक्टेयर वादग्रस्त आराजी का पत्थर गढ़ीं कराने आदेश फरमाये।

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को तलब किया गया। विपक्षी सं. 1 से लगायत 5 की ओर से वकील श्री शांतिलाल कटारा ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। विपक्षी सं. 6 से लगायत 14 की ओर से वकील

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner

श्रीमती रीना डोडियार ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। विपक्षी सं. 1 से 5 की ओर से जवाब प्रस्तुत हुआ, जिसमें बताया है कि विपक्षीगण सं. 1 से 5 ने न कोई विवाद किया है न ही वादी के कब्जे काश्त की जमीन पर न अतिक्रमण किया है, क्योंकि वादी द्वारा गलत तथ्य प्रस्तुत किये हैं। प्रार्थी द्वारा सीमाज्ञान का आदेश कराकर षडयंत्रपूर्वक पर्चा मौका बनाया है, जिसकी आपराधिक रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई है। प्रार्थी की आराजी की पत्थरगढी के साथ विपक्षीगण की आराजी की पत्थरगढी कराना भी आवश्यक है।

विपक्षी सं. 6 से 14 की ओर से जवाब प्रस्तुत किये जाने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब पेश नहीं हुआ न ही वकील विपक्षी सं. 6 से 14 उपस्थित हुए, जिस कारण जवाब विपक्षी सं. 6 से 14 बंद कर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। विपक्षी सं. 15 तहसीलदार झौंथरीपाल की ओर से जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किया गया। तहसीलदार झौंथरीपाल द्वारा अपने जवाब में बताया गया है कि उक्त प्रकरण में प्रार्थी कृषि कार्य कब्जे काश्त खातेदारी आराजी मौजा भीण्डा में खाता संख्या 223 खसरा सं. 411, 413 किता 2 रकबा कुल 0.4045 हैक्ट. है।

बहस सुनी गयी। प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र मय दस्तावेज का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। तहसीलदार झौंथरीपाल के आदेश क्रमांक भू.अ./2025/193–194 दिनांक 07.05.2025 द्वारा प्रार्थी की आराजी भूमि के सीमांकन की कार्यवाही कर दी गई है। प्रार्थीगण, उक्त खातेदारी भूमि की पत्थर गढी, पत्थर लगा कर, स्थाई सीमा चिन्हों के साथ, पुलिस प्रशासन के साथ कराना चाह रहे है। ऐसे में प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र न्यायसंगत होने से स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

::आदेश::

विद्वान अधिवक्ता की बहस एवं पत्रावली के अवलोकन पश्चात् न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि प्रार्थी की गांव मौजा भीण्डा के जमाबन्दी खाता संख्या 293 के खसरा सं. 411 व 413 रकबा क्रमशः 0.0809 हैक्टेयर एवं 0.3236 कुल रकबा 0.4045 हैक्टेयर भूमि स्थित है, जिसका सीमाज्ञान के आधार पर प्रार्थी पत्थरगढी करवाने का अधिकारी है। अतः तहसीलदार झौंथरीपाल को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी की गांव मौजा भीण्डा के जमाबन्दी खाता संख्या 293 के खसरा सं. 411 व 413 रकबा क्रमशः 0.0809 हैक्टेयर एवं 0.3236 कुल रकबा 0.4045 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढी की कार्यवाही करें। पत्थरगढ़ी की कार्यवाही के दौरान निम्न बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित होवें:–

1. पत्थरगढ़ी की फीस प्रार्थी से प्राप्त कर राजकोष में जमा करवायें।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner

2. पत्थरगढ़ी की कार्यवाही से पूर्व, पड़ौसी खातेदारान को विधिवत् सूचित कर उभयपक्षकारान की उपस्थिति विधिक प्रक्रियानुसार पत्थरगढ़ी की कार्यवाही सम्पादित करें।
3. पत्थरगढ़ी के माध्यम से एक पक्ष से दूसरे पक्ष को कब्जा हस्तांतरण न करें।
4. मौके पर कब्जा सम्बन्धी वाद है तो इस आदेश की पालना में किसी भी प्रकार की कार्यवाही न करें।
5. कब्जा सम्बन्धी मामलों में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 में पृथक् से प्रावधान है। उस प्रक्रिया के माध्यम से अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है।

तहसीलदार झौंथरीपाल आदेश की पालना कर रिपोर्ट न्यायालय में अविलम्ब पेश करें। तहसीलदार तहसील झौंथरीपाल, थानाधिकारी पुलिस थाना चौरासी को तहरीर जारी कर, माकुल पुलिस जाब्ता प्राप्त करें।

(सोनू कुमार गुर्जर, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
एवं तहसीलदार
सीमलवाड़ा

उक्त निर्णय आज दिनांक 16/06/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
एवं तहसीलदार
सीमलवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner